ISSN 2455 – 4502

नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती भारती कवेर्जयति

त्रैमासिक ई–पत्रिका
वर्ष : 2, अंक : 1

निमित्त

विश्वविद्याल परिसर की रचनात्मक अभिव्यक्ति का समवेत प्रयास

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
पोस्ट : हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा – 442 001 (महाराष्ट्र)

भारत में बढ़ती महिला तस्करी

मनोज कुमार गुप्ता

सारांश

भूमंडलीकरण और तेजी से विकसित होती दुनिया की बदलती संरचनाओं एवं परिस्थितियों ने मानव तस्करी के आपराधिक तंत्र को और भी मजबूती प्रदान की है। मानव तस्करी के इस व्यवस्थित एवं संगठित वैश्विक अपराध का शिकार सबसे अधिक महिलाएं और लड़कियां ही होती हैं। महिला तस्करी की लगातार बढ़ती समस्या निश्चित तौर पर वैश्विक चिंता का विषय बन गया है। विशेष रूप से दक्षिण एशिया के विकासशील देश इससे अधिक प्रभावित हैं। महिलाओं और लड़कियों की तस्करी का सबसे प्रमुख मकसद उनका यौन शोषण करना होता है। उन्हें लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़नाओं को झेलना पड़ता है। बहुत सारी पीड़ित महिलाएं अनचाहे गर्भ, यौन जनित संक्रामक बीमारियों एवं एड्स जैसी घातक बीमारियों से भी जूझती हैं। हालांकि इस संगठित तंत्र को तोड़ने और इस अमानवीय कृत्य को समाप्त करने हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रयास भी किए जा रहे हैं। यह शोध आलेख दक्षिण एशिया और विशेष रूप में भारत में बढ़ती महिला तस्करी की समस्या एवं उसके कारणों के अध्ययन इससे निपटने के उपायों पर केंद्रित है।

प्रमुख शब्द– तस्करी, अपराध, वेश्यावृत्ति, देह व्यापार, शोषण, अनैतिक, महिला, आंदोलन, पितृसत्ता।

प्रस्तावना

वर्तमान परिदृश्य में नशीली दवाओं और खतरनाक हथियारों के अवैध कारोबार के बाद मानव तस्करी दुनिया भर में तीसरा सबसे बढ़ा संगठित अपराध है। दक्षिण एशिया के बहुत सारे विकासशील देशों में तस्करी का तंत्र अपनी पैठ बनाता जा रहा है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं और बच्चियों की तस्करी दर में तेजी से वृद्धि हुई है, जो चिंता का विषय है। यह मुख्यतः महिलाओं को अनैतिक रूप से यौन शोषण, वेश्यावृत्ति एवं देह व्यापार के लिए खरीदे–बेचे जाने से जुड़ा है। नव–उदारवादी पूंजीवादी संरचनाएं एवं भूमंडलीकरण के बढ़ते प्रभाव ने वैश्विक सीमाओं की चुस्ती में थोड़ी ढील दी है। इससे एक तरफ जहाँ व्यापक आर्थिक विकास को गति मिली है, वहीं विश्व बाजार की आर्थिक शक्तियां अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए विकासशील देशों से सस्ते और सुलभ श्रम के दोहन की अपेक्षा रखने लगी हैं। जिसका सबसे आसान लक्ष्य महिलाएं हो रही हैं। रोजगार और उद्यम के नाम पर इन महिलाओं की आर्थिक और पारिवारिक परिस्थितियों का नाजायज फायदा उठाकर कई बार बिचौलियों द्वारा उन्हें धोखे से सेक्स व्यापार में धकेल दिया जाता है। जिससे उनका निकल पाना लगभग असंभव ही रहता है। तस्करी का यह तंत्र देशभर में व्यापक रूप से कई स्तरों पर सक्रिय है।

महिला तस्करी की बढ़ती घटनाएं सामाजिक–आर्थिक विकास, क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था के साथ–साथ मानवाधिकार की रक्षा तथा स्वतंत्रता के समक्ष एक कठिन चुनौती है। ऐसी संगठित अपराधिक गतिविधियों की सक्रियता आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा तंत्र को खोखला बना रही हैं। किसी भी राष्ट्र की मानव पूँजी का अवैध व्यापार वहां की सामाजिक–आर्थिक संरचना को दुर्बल बनाती है। जिसका प्रभाव राष्ट्र और उसके नागरिकों दोनों पर पड़ता है। दुनिया भर में 80 प्रतिशत से अधिक मानव तस्करी देह व्यापार अथवा यौन शोषण के लिए की जाती है। भारत को दक्षिण एशिया में मानव तस्करी का केंद्र माना जाता है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक दशक में लड़कियों की तस्करी के मामले में 14गुना की वृद्धि हुई है। ऐसे आंकड़े निकट भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। वर्ष 2000में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध आयोजित सम्मेलन में पालेर्मो प्रोटोकाल के रूप में एक दस्तावेज तैयार किया गया जो, खासतौर से महिलाओं और लड़कियों की तस्करी में संलिप्त लोगों को दंड देने और इस संगठित तंत्र को समाप्त करने से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन भी मानव श्रम एवं अनैतिक दैहिक शोषण के इस उपक्रम को आधुनिक गुलामी अथवा दासता के नए रूप में देख रहा है, जो महिलाओं के खिलाफ सबसे हिंसक कृत्यों की श्रेणी में आता है। देश भर में फैले तस्करों की पहचान करना और इससे महिलाओं और बच्चों को मुक्ति दिला पाना इसलिए और भी कठिन हो जाता है क्योंकि ये अक्सर पीड़ित के रिश्तेदार, दोस्त, सगे संबंधी और कई बार पुरुष मित्र भी होते हैं जो नौकरी, विवाह, विदेश भ्रमण आदि का झांसा देकर इस नरक में धकेल देते हैं। हालांकि पीड़ितों के पुनर्वास और उनके अधिकारों की

सुरक्षा हेतु काम करने वाली सरकारी गैरसरकारी संस्थाएं लगातार सक्रिय हैं। परंतु इसकी व्यापक व्यूह रचना को तोड़ पाना आज बहुत बड़ी चुनौती है। यह सफेद पोश अपराधी हमारे इर्द–गिर्द रहते हुए भी अपनी गतिविधियों को सक्रिय रखते हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे तमाम प्रयासों के बावजूद यह अपराध बढ़ता ही जा रहा है। आखिर क्यों हम इसे रोक पाने में अक्षम दिखाई पड़ते है? क्या इनके खिलाफ बने नियम और कानूनों की पहुँच जमीनी स्तर तक नहीं है ? 21वीं सदी में मानव व्यापार की कल्पना ही डरावनी लगती है। क्या सभ्य समाज यही है ? मानव तस्करी के इस संगठित और बर्बर अपराध को व्यापक रूप से समझने और इसकी जटिलताओं की तह तक जाकर इसके कारणों को जानने के लिए विस्तृत अध्ययन की जरूरत है।

महिला तस्करी से जुड़ी बहसें

यह अपने आप में बहुत ही संवेदनशील मुद्दा रहा है। मानव तस्करी जैसा शब्द भले ही नया हो पर मानव पूंजी का अनैतिक दोहन और शोषण सदियों से दुनियाभर में अलग–अलग रूपों में रहा है। बंधुवा मजदूर, दास प्रथा आदि इसी श्रेणी में आते हैं, जो फिलहाल समाप्त ही हो गए हैं। वर्ष 1948 में मानवाधिकर की वैश्विक घोषणा द्वारा सभी प्रकार के अमानवीय कृत्यों, जो मानवाधिकार के हनन से जुड़े हों, के निषेध की औपचारिक पहल की गई। महिलाओं की तस्करी भी अनैतिक यौन शोषण एवं देह व्यापार के लिए होती रही है। 19वीं सदी के अंतिम दौर में जोसेफिन बटलर जैसी नारीवादी विचारकों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले महिलाओं के अनैतिक देह व्यापार के पूरे परिदृश्य को ‘व्हाइट स्लेव ट्रेड’ जैसे शब्द से परिभाषित किया। व्हाइट स्लेव ट्रेड के खिलाफ मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोप में आंदोलन की मुकम्मल शुरुआत सदी के अंत तक हो चुकी थी। इस आंदोलन को तथाकथित दासता विरोधी आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। व्हाइट स्लेव ट्रेड का प्रयोग खासतौर से गोरी यूरोपियन और अमेरिकन महिलाओं के लिए किया जाता था जिन्हे यौन शोषण के मकसद से तस्करी कर पश्चिमी यूरोप और यूनाइटेड स्टेट तक लाया जाता था, और बहुतों को वहां से उपनिवेशों तक भी ले जाया जाता था लेकिन अन्य नस्ल और रंग के तस्करी किए गए लोग इसमें शामिल नहीं थे।

वर्ष 1979 में केथलीन बेरी की पुस्तक ‘फीमेल सेक्सुअल स्लवेरी’ ने महिलाओं के यौन शोषण और महिला तस्करी के बारे में नारीवादियों को नए सिरे से सोचने के लिए प्रेरित किया। महिलाओं की यौन गुलामी की बहस के दूसरे चरण की शुरुआत का श्रेय निश्चित तौर पर इस पुस्तक को जाता है। महिला तस्करी का मुद्दा जोकि एक सीमित दायरे तक ही सिमटा हुआ था, अब वह वैश्विक बहस का मुद्दा बनने लगा। 80 के दशक के कुछ और महत्त्वपूर्ण बदलावों जैसे– तीसरी दुनिया के देशों में भूमंडलीकरण की दस्तक, श्रम और रोजगार की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए लोगों का पलायन, एड्स का बढ़ता संक्रमण, बाल यौन शोषण और सेक्स पर्यटन को बढ़ावा आदि ने देह व्यापार एवं तस्करी की बढ़ती घटनाओं पर बुद्धिजीवियों, सामाजिक चिंतकों, नारीवादी विचारकों के साथ–साथ राष्ट्रीय–अंतरराट्रीय संस्थाओं को भी इस संगठित अपराध के खिलाफ गंभीर और दूरगामी रणनीति बनाने की आवश्यकता महसूस हुई।

भारत में तस्करी का वर्तमान परिदृश्य

मानव तस्करी देश की प्रमुख समस्याओं में से एक है। महिलाओं और बच्चियों की तस्करी भारत में दूसरा सबसे बड़ा मानवाधिकार संबंधी अपराध है। भारत सेक्स और श्रम के अवैध व्यापार का प्रमुख मार्ग और गंतव्य अथवा ठिकाना दोनों हैं। खासतौर से उत्तरपूर्वी राज्यों की छोटी लड़कियों एवं युवा महिलाओं को एजेंट द्वारा उनके माता–पिता और संबंधियों को उनकी पढ़ाई, बेहतर नौकरी और पैसों का लालच देकर लाया जाता है। इसके बाद उन्हे धोखे से बंधुवा मजदूरी एवं यौन शोषण के लिए बेच दिया जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल आदि प्रदेशों से सबसे अधिक महिलाओं की तस्करी होती है। तस्करी का तंत्र देश भर में लगभग हर राज्य में फैला हुआ है। भारत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और गोवा मानव तस्करी के हॉटस्पॉट के रूप में जाने जाते हैं। दिल्ली को घरेलू कामकाज, जबरन शादी और वेश्यावृत्ति के लिए छोटी लड़कियों के अवैध व्यापार का गढ़ माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में तमिलनाडु में भी महिलाओं की तस्करी का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2014 के आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 10 वर्षों में मानव तस्करी के कुल दर्ज मामलों में से 76 प्रतिशत शिकार महिलाएं और लड़कियां हुई हैं। नीचे चित्र द्वारा भारत में पिछले 10 वर्षों में मानव तस्करी के मामलों को दर्शाया गया है।

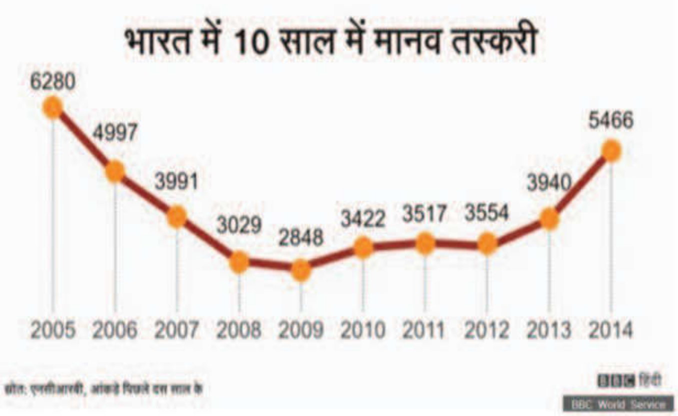

नीचे दिये गए चित्र में पिछले 10 वर्षों में नाबालिग लड़कियों की प्राप्ति के दर्ज मामलों का ब्यौरा है।

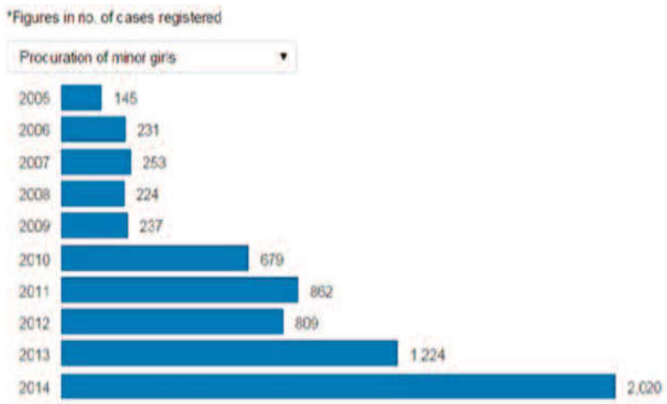

(स्रोत–http://www-indiaspendhindi.com/ cover&story / महिलाओं–एवं–बच्चियों–की–तय ंबबमे on 20/02/2016 at 3:35 pm)

ऊपर दिये गए चित्रों से महिला तस्करी की बढ़ती घटनाएं तो दिखती हैं। साथ ही यह भी जानना बेहद जरूरी है ये आंकड़े उन्हीं मामलों के संदर्भ में निकाले जा सकते हैं जिनकी शिकायत किसी न किसी रूप में पीड़ित या उसके परिजनो अथवा इससे जुड़ी संस्थाओं द्वारा दर्ज कराई गयी होती हैं। शोधकर्ताओं एवं विशेषज्ञों का मानना है कि तस्करी के 30–40 प्रतिशत मामलों की ही रिपोर्ट दर्ज हो पाती है। भारत में विभिन्न राज्यों के अतिरिक्त नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, यूक्रेन एवं कजाखस्तान आदि देशों से भी लड़कियां अवैध तरीके से लाई जाती हैं, जिन्हें पुनः देश की सीमा के भीतर और बाहर यौन शोषण और वेश्यावृत्ति के निमित्त बेच दिया जाता है। एक अध्ययन के अनुसार भारत में 90: महिला तस्करी भारतीय प्रदेशों से ही होती है। मानवता के लिए इससे बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता जहां एक तरफ हम सभ्य होने और विकास के चरमोत्कर्ष पर जाने का दावा करते हैं वही दूसरी तरफ आबादी के एक बड़े हिस्से को महज वस्तु के रूप में देख रहे हैं। महिलाओं पर होने वाला यह सबसे बर्बर अपराध है। स्टॉप ट्रैफिकिंग एण्ड ओप्रेशन ऑफ वुमेन – चिल्ड्रेन संस्था जो भारत में महिलाओं और बच्चों की तस्करी के खिलाफ मुहिम में शामिल है और पीड़ितों के पुनर्वास आदि के लिए भी कार्यरत है, इसके अनुसार भारत में 20 से 65 मिलियन लोग इस संगठित अपराध से प्रभावित हैं। इनकी माने तो वर्तमान में केवल भारत में 1.2 मिलियन बच्चे यौन गुलामी के शिकार हैं।

तस्करी तंत्र

महिला तस्करी का यह संगठित अपराध पूरी तरह से पितृसत्तात्मक सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे से पोषित होता है। पुरुषवादी घृणित मानसिकता वाले एजेंट व्यक्ति को महज उत्पाद के रूप में देखते हैं। यह संगठित तंत्र एक व्यवस्थित व्यूह रचना के अंतर्गत कार्य करता है। आपराधिक प्रकृति वाले इस अवैध व्यापार में अकूत कमाई भी निहित होती है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की वर्ष 2014 में आई रिपोर्ट के अनुसार मानव तस्करी से प्रति वर्ष लगभग 150 बिलियन डॉलर से अधिक कमाई की जाती है। जो गूगल, ईबे एवं अमेजन जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों कुल वार्षिक कमाई के लगभग बराबर है। इसका प्रसार अथवा नेटवर्क बहुत व्यापक स्तर पर विद्यमान है। इसकी जटिलता को नीचे दिये गए चित्र से दिखाने का प्रयास किया गया है।

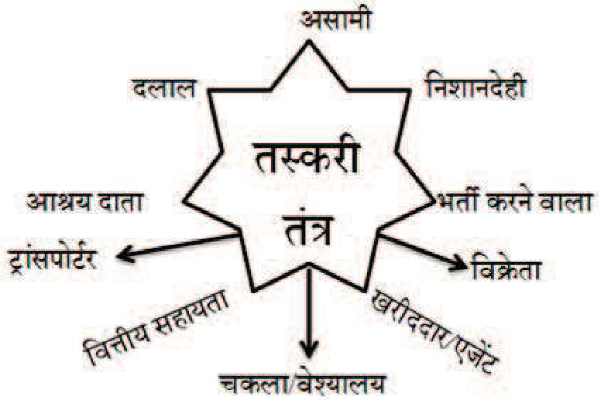

कानूनी प्रावधान

संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ–साथ भारत भी मानव तस्करी के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है। भारत में यौन अपराध और मानव तस्करी को रोकने के लिए कानूनी स्तर पर कई प्रावधान किए गए हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 यह मानव तस्करी को गैरकानूनी घोषित करता था। इसे और भी व्यापकता प्रदान कराते हुए वर्ष 1986 में संशोधन द्वारा इसे बदलकर अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम,1986 कर दिया गया। यह संशोधित अधिनियम व्यावसायिक यौन शोषण और व्यापार का निषेध करने के साथ ही इसके रोकथाम भी करता है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, इस अधिनियम के माध्यम से बच्चों (18 वर्ष से कम उम्र) के खिलाफ यौन अपराध और उसके रोकथाम के लिए पहली बार विशेष प्रावधान किया गया। किशोर न्याय अधिनियम 2000, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ओर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट, 1999 आदि कई महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान किए गए हैं। जिससे ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। सरकारी और गैर–सरकारी स्तर पर व्यावसायिक यौन शोषण और अनैतिक व्यापार की पीड़ित महिलाओं की देखरेख एवं उनकी सुरक्षा के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं।

सरकारी और गैर–सरकारी पहल

मानव तस्करी की रोकथाम और इससे पीड़ित लोगों के कल्याण और पुनर्वास आदि की दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं–

●उज्ज्वला (2007)– तस्करी की रोकथाम एवं तस्करी की गयी अथवा व्यावसायिक यौन शोषण आदि से पीड़ित महिलाओं तथा लड़कियों को बचाने, उनके पुनर्वास और पुनः अनुकूलन हेतु यह बहुत ही व्यापक योजना है।

●भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने वर्ष 2006 में मानव तस्करी को रोकने के लिए एक नोडल सेल की स्थापना की। इसका मुख्य कार्य राज्य सरकारों एवं संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय बनाए रखते हुए मानव तस्करी की रोकथाम से संबंधित सुझाव आदि देना सुनिश्चित किया गया था।

●वर्ष 2001–02 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्वधार योजना चलाई गयी। जो कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लिए थी।

●सेल्टर होम की योजना, बेघर महिलाओं के अस्थाई निवास और उनके पुनर्वास की सुविधा हेतु हैं।

●चाइल्ड लाइन, स्टॉप ट्रैफिकिंग एण्ड ओप्रेशन ऑफ वुमेन – चिल्ड्रेन जैसी कुछ संस्थाएं भी इस दिशा में कार्यरत हैं।

निष्कर्ष

तस्करी के तंत्र को भेदना इसलिए और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके शिकार होने वाले लोग अधिकतर वैध तरीके से नौकरी, मजदूरी, शिक्षा, दहेज मुक्त विवाह आदि के लिए ले जाए जाते हैं। इस सबके झांसे में तस्कर अपना कार्य संपादित करते हैं। 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कराये गए एक अध्ययन से पता चला कि भारत में तीन मिलियन महिलाएं यौन कर्मी के रूप में कार्य कर रही हैं। जिनमें से अधिकतर व्यावसायिक यौन तस्करी की शिकार हैं। अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि जो महिलाएं किसी तरह यौन तस्करों से छूटती हैं उनके पास जीविकोपार्जन के लिए सीमित साधन और पितृसत्तात्मक सामाजिक रूढ़ियों के चलते रोजगार के अन्य विकल्पों की कमी, उन्हें इसी क्षेत्र में पुनः जाने को विवश कर देती है। भारत में इसका एक बड़ा कारण गरीबी भी है। साथ ही रोजगार के अवसरों में कमी, पितृसत्तात्मक सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना, महिलाओं के साथ भेदभाव एवं दहेज के साथ सबसे महत्त्वपूर्ण कारण घटता लिंगानुपात और रोजगार के लिए घर से दूर शहरों में आने वाले लोगों की यौन जरूरतों की पूर्ति भी यौन शोषण और तस्करी को बढ़ावा देता है। मानव तस्करी के प्रति सामाजिक जागरूकता, पीड़ित महिलाओं के प्रति सम्मान और उनके साथ भेदभाव रहित व्यवहार, उनके पुनर्वास और रोजगार की समुचित व्यवस्था के साथ–साथ मजबूत और प्रभावी कानून का प्रावधान आदि तस्करी के इस संगठित अपराध के तंत्र को तोड़ सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ

- Vohra,T.(2009). Trafficking in women and children. Pacific publication: Delhi.
- India's human trafficking laws and policies and the UN trafficking protocol: Achieving clarity. Policy brief feb,2015 (http://www.jgu.edu.in/chlet/pdf/Indias-Human-Trafficking-Laws-Report-Book_Feb-2015.pdf, access 14/02/2016 at 6:20 pm)
- United Methodist women's work to end human trafficking by Johnson, S. (http://www.unitedmethodistwomen.org/ht/packet.aspx, access 18/02/2016 at 10:00 am)
- Beyond border security: feminist approaches to human trafficking by Jennifer K. Lobasz (http://jenniferlobasz.typepad.com/files/lobasz-2009.pdf,access18/02/2016 at 10:00 am)
- India country assessment report : current status of victim service providers and criminal justice actors on anti human trafficking (2013). By UNODC & India (http://www.unodc.org/documents/southasia/reports/Human_Trafficking-10-05-13.pdf, access 16/02/2016 at 5: 34 pm)
- http://hindi.thequint.com/opinion/2016/01/05/every-eight-minutes-a-girl-disappears-in-india (access 16/02/2016 at 5: 34 pm)
- Combating Trafficking in South-East Asia A Review of Policy and Programme Responses (2000) by International Organization for Migration Geneva (http://www.unesco.org/most/migration/ctsea.pdf, access 17/02/2016 at 1:30am)
- Trafficking in Women by Barbara Sullivan: International Feminist Journal of Politics: Online Publication Date: 01 April2003 (http://myweb.dal.ca/mgoodyea/files/traffick/Trafficking%20in%20women%20B%20Sullivan%20Int%20Fem%20J%20Pol%202003%20%205(1)%2067-91.pdf, access 20/02/2016 at 10:30pm)
- इंडियास्पेंड (http://www-indiaspendhindi-com/cover&story/ महिलाओं–एवं–बच्चियों–की–त, DlSl 15/02/2016at 11:30pm)